राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट–III)/2018/1610 दिनांक : 20/09/18

परिपत्र

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2018–19 के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें विभागीय विज्ञप्ति अनुसार प्रदेश में संचालित पन्द्रह राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए रूपये 180/– तथा निजी नर्सिंग स्कूलो के लिए रूपये 10,000/– दोनों ही राशि जमा कराकर पृथक–पृथक रूप से अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया था। इन अभ्यार्थियों में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है, जिनका प्रथम काउंसलिंग के दौरान इनकी वरियता अनुसार इन्हें इनके विकल्प पत्रानुसार निजी प्रशिक्षण केन्द्र आंवटित किया गया था। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम काउंसलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्रों में शेष रही रिक्त सीटों के लिए द्वितीय काउंसलिंग के दौरान इनकी वरियता एवं पात्रता अनुसार इनका चयन राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में हो गया है।

ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में उनके निजी नर्सिंग स्कूल के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उनकी संस्था को आंवटित छात्र जिसने प्रशिक्षण हेतु मूल दस्तावेज एवं फीस इत्यादि जमा करा दी है तथा विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय काउंसलिंग में इनका चयन राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में हो गया है। ऐसे सभी अभ्यार्थियों को द्वितीय काउंसलिंग हेतु चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व इन अभ्यार्थियों द्वारा जमा कराये गये मूल दस्तावेज एवं फीस इत्यादि इन अभ्यार्थियों को वापस लौटाना सुनिश्चित करे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी–88 (पार्ट–III)/2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, ई–277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यार्थी।
7. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु में अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर